सं.14/2/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 06 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की दिनांक 19 मई, 2015 को आयोजित दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची भेजने के संबंध में।

मुझे श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होने के लिए निर्धारित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की (2015 श्रृंखला की) दूसरी बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें।

ह0/-
(एस.एस. कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी]सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एकेबी) के प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव जीपीएम के निजी सचिव/निदेशक (एमवी) के निजी सचिव, निदेशक (एसएस) के निजी सचिव।

ईओयू स्कीम के लिए दिनांक 19.05.2015 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की जाने वाली बीओए की दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) के लिए कार्यसूची।

2.1(15) बीओए की 20.02.2015 को आयोजित पहली बैठक (2015 श्रृंखला) के कार्यवृत्त की पुष्टि

2.2.(15) केएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स : अनुमति पत्र का विस्तार/ नवीकरण

इस यूनिट को स्विचिंग के लिए इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक ऐपरेटस हेतु पीतल के पार्टसद्व कनेक्शन करने, इलेक्ट्रिकल परिपथों की सुरक्षा करने जैसे स्विच्स, प्लग, साकेट्स, जंग्सन बॉक्स, इन्गाट्स/ बिलेट्स/ग्रेनुअल्स बनाने, जिंक के कास्टेड/राड्स/पाइप्स/प्रोफाइल्स बनाने, टेवल किचेन या अन्य घरेलू मदों का विनिर्माण करने और 2500 एमटी की वार्षिक क्षमता युक्त उनका निर्यात करने के लिए वर्ष 2004 में अनुमति पत्र दिया गया था। इस यूनिट ने दिनांक 02.04.2015 को अपना उत्पादन प्रारंभ किया और उनका अनुमति पत्र 01.04.2010 तक वैध था।

इस यूनिट ने अपने दिनांक 01.09.2009 के पत्र के तहत डिबांडिंग के लिए आवेदन किया परंतु इस यूनिट ने न तो डिबांडिंग की प्रक्रिया को पूरा किया और न ही विनिर्धारित समय-सीमा के अंदर अनुमति पत्र का विस्तार करने का आवेदन किया।

उनका अनुमति पत्र समाप्त होने के 4 वर्ष व्यपगत हो जाने के पश्चात इस यूनिट ने दिनांक 07.05.2014 के पत्र के तहत यह औचित्य देते हुए अपने अनुमति पत्र का नवीकरण करने के लिए आवेदन किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कुछ कारणों से उन्हें कोई निर्यात आदेश प्राप्त नहीं हुआ था परंतु अब उनके उत्पादन का निर्यात करने के लिए पूछताछ प्राप्त हुई है और इसलिए अब वे अपनी यूनिट शुरू करना चाहते है।

यह यूनिट अपनी पहली ब्लॉक अवधि अर्थात् 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान 169.92 लाख रुपये से एनएफई सकारात्मक थी।

क्षेत्राधिकार वाले उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने सूचित किया कि इस यूनिट पर 1.27 करोड़ रुपये की राशि के शुल्क सहित चार अपुष्ट मांगे सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्याय निर्णय के लिए लंबित पड़ी हैं। इस अपुष्ट मांग इस कारण से लंबित पड़ी है कि इस यूनिट ने आयातित/अधिप्राप्त मात्रा से 2 प्रतिशत अधिक अपशिष्ट एवं रद्दी माल (स्क्रैप) के अवशेष क्लीयर किए हैं जो एचबीपी के पैरा 6.7(ड.) और विदेश व्यापार नीति 2004-09 के पैरा 6.08 (ड.) के साथ पठित दिनांक 31.03.2003 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 52/2003 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान

एचबीपी 2015-2020 के पैरा 6.01 में विनिर्धारित है कि यदि कोई यूनिट छः माह की समाप्ति के उपरांत निरंतरता का विकल्प देती है तो विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात उसके विस्तार की अनुमति देगा।

विकास आयुक्त की संस्तुति :

यह यूनिट के ईओयू स्कीम के अंतर्गत विगत कार्यनिष्पादन और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांगों की संपुष्टि न करने को देखते हुए विकास आयुक्त ने संस्तुति की कि वे अनुमति पत्र का नवीकरण करने का अनुरोध करें।

इस इकाई के अनुमति पत्र का विस्तार/नवीकरण करने का प्रस्ताव विचारार्थ अनुमोदन बोर्ड के पास पड़ा है।

2.3(15) सीएसईजेडके अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, उनकी नवीन प्रयोगशाला के लिए कुछ आयातित एवं स्वदेशी ड्यूटी फ्री सामग्री का अधिप्रापण करने के लिए अनुमति।

इस इकाई के पास सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी)/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) तथा सेवा सेक्टर में कुछ अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों का निर्यात करने के लिए दिनांक 21.07.2006 का अनुमति पत्र है जिसे 23.11.2011 तक बढ़ाया गया है।

इकाई का प्रस्ताव है कि वह ईओयू के अनुमोदित अतिरिक्त बांडेड परिसरों में बंगलौर स्थित न्यू टेक्नालोजी केंद्र पर एक नई प्रयोगशाला की स्थापना करेगी। किसी अलग स्थान पर नवीन प्रयोगशाला की स्थापना करेगी। किसी अलग स्थान पर नवीन प्रयोगशाला स्थापित करने की अनुमति विकास आयुक्त ने एचबीपी 2009-14 के पैरा 6.32(7) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दी है। आयातित/स्वदेशी सामग्री के शुल्क मुक्त अधिप्रापण, जो नई प्रयोगशाला की स्थापना के लिए आवश्यक है, के लिए अधिप्रापण का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 20.02.2015 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा गया था, परंतु पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने इस मामले को आस्थगित कर दिया और विकास आयुक्त को निदेश दिया कि वह उन मदों की पहचान करें जो नई प्रयोगशाला के लिए विशिष्ट हों। सीएसईजेड से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है।

इस ईओयू के अतिरिक्त अनुमोदित बांडेड परिसर में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं स्थित होंगी :

क) 20.68 एकड़ का एक अनन्य वेट लैब क्षेत्र (पहले से बांडेड), इसमें अनुसंधान एवं विकास प्रचालनों के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जो सिम्पल ईओयू ऑपरेशनों का अंग होंगे।

ख) ईओयू प्रचालनों के लिए एक शुष्क प्रयोगशाला क्षेत्र (जिसे फ्लोर-वार बांड किया जाएगा) जहां तेल एवं गैस सेक्टर के संबंधित इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान एवं विकास सेवाओं का कार्य किया जाएगा।

इन प्रयोगशालाओं में पूंजीगत वस्तुओं के लिए शुल्क छूट की मांग की जाएगी। सुविधाओं, कार पार्किंग और पाकशाला भवन जैसे अन्य गैर-वांडेड क्षेत्रों के लिए किसी शुल्क छूट की मांग नहीं की गई है।

वे मदों जो नई प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य एवं विशिष्ट हैं, निम्नलिखित हैं :

i. एल्युमिनियम क्लैडिंग, ग्लास पैनल्स : केवल इन्हीं मदों के लिए केवल वेट लैब क्षेत्रों में शुल्क छूट की मांग की जाती है। चूंकि ये प्रयोगशालएं पेट्रोरसायन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को करेंगी, इसलिए प्रयोगशाला में आंतरिक तापमान कम करने में सहायता करने के लिए और कोई दुर्घटना होने की स्थिति में संपूर्ण परिसर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शेटर प्रूफ हीट रिफ्लेक्टर एल्युमिनियम क्लैडिंग और आयातित ग्लास पैनल्स की आवश्यकता होगी।

ii. फॉयर डोर्स एवं फॉयर रोलिंग शटर्स : इस इकाई के क्रियाकलाप मुख्यत: अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोरसायन उत्पादों से संबंधित हैं और इस यूनिट के लिए आम से सुरक्षा एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। फॉयर डोर्स आग एवं धुआं फैलने को कम करते हैं और भवनों से सुरक्षित बाहर निकलना सफल बनाते हैं और फॉयर रोलिंग शटर्स पैसिव अग्नि संरक्षा, अग्नि से ब्रेक्स एवं बैरियर्स प्रदान करते हैं और भवन के अंदर कम्बस्टन

उत्पादों को फैलाने और बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो एक सुरक्षा उपाय है और वेट लैब एवं ड्राई लैब दोनों क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। इससे मोटर पावर के तहत एक केंद्रीय अलार्म या धूम्र संसूचक होता है। इसलिए यह प्रयोगशाला तथा बांडेड परिसर के अंदर मानवजीवन एवं अन्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

iii. लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम एवं लाइटिंग जुड़नार : यह प्रयोगशाला इस यूनिट के प्रचालनों का एक महत्वपूर्ण भाग होगी और इस प्रयोगशाला में प्रचालनों के लिए तथा शुष्क लैब क्षेत्र में जहां अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है, उसके लिए लाइटिंग सिस्टम का प्रबंधन और तापमान नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भाग है। इस लैब को चौबीसों घंटे प्रचालनात्मक रहने की जरूरत है। इस प्रयोगशाला में बिना किसी अवरोध के विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर प्रयोग किए जाते रहेंगे।

iv. इलेक्ट्रिकल मदें और इलेक्ट्रिकल केबल्स (कॉपर) और इलेक्ट्रिकल केबल्स (एल्युमिनियम) : इन मदों की सर्ज संरक्षण के लिए जरूरत होती है। इनसे अचानक शार्ट सर्किट होने अथवा दुर्घटनात्मक अग्नि फैलने के मौकों को कम करने और पारेषण और लैबोरेटरी भवनों में तथा शुष्क लैब क्षेत्रों में विद्युत का संवितरण करने के लिए आवश्यकता होती है।

उन्हें ड्राई लैब्स में एल्युमिनियम एवं ग्लास पैनलों तथा वेट लैब में पैसेन्जर लिफ्टों के संबंध में 416.1 लाख रुपये का शुल्क छूट लाभ दिया गया है।

इस यूनिट ने दिनांक 10.01.2007 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। वर्ष 2013-14 के दौरान 158570.02 लाख रुपये का निर्यात हुआ। इस यूनिट को वर्ष 2006-07 की अवधि के लिए शुरूआती 5+3 वर्षों में 3888817.82 लाख रुपये का सकारात्मक एनएफई प्राप्त हुआ है।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान : एचबीपी 2015-16 के पैरा 6.04 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार बीओए को यह अधिकार है कि वह एचबीपी के पैरा 6.04 के खंड (क) से (ड.) में अनुल्लिखित वस्तुओं का आयात करने/डीटीए अधिप्रापण करने की अनुमति देने का अधिकार है।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : पूर्ण रूप से अधिप्राप्त की गई कुल 3822.75 लाख रुपये की सामग्री में से (2447.83 लाख रुपये की) 64 प्रतिशत सामग्री का स्वदेशी रूप से अधिप्रापण करने का प्रस्ताव है और केवल 35 प्रतिशत सामग्री (1374.92 लाख रुपये की) सामग्री का आयात करने का प्रस्ताव है। इस यूनिट के सकारात्मक एनएफई और 590892.36 लाख रुपये के संचयी आयात सहित उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इन मदों की जरूरत अत्यधिक कम्बस्टाइल और वोलैटाइल पेट्रोरसायन उत्पादों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के संबंध में इस प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए विकास आयुक्त में इन मदों का अनुमोदन करने की सिफारिश कर दी।

इस यूनिट का एल्युमिनियम क्लैडिंग, ग्लास पैनल्स, फॉयर डोर्स एवं फॉयर रोलिंग शटर्स, लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइटिंग सिस्टम एवं लाइटिंग फिक्शर्स, इलेक्ट्रिकल मदों तथा इलेक्ट्रिकल केबल्स (कॉपर) एवं इलेक्ट्रिककल के बल्स (एल्युमिनियम) जैसी अधिप्रापण सामग्री का इस नई प्रयोगशाला के लिए आयातित एवं स्वदेशी दोनों तरह का शुल्क मुक्त अधिप्रापण करने का प्रस्ताव विचारार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

2.4(15) बीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड – अनुमति पत्र का बिना शर्त विस्तार करने का अनुरोध।

वीएसईजेड ने वीएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड के उस प्रस्ताव को अग्रेषित कर दिया जिसमें उनको ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड दूसरी बैठक (2014 श्रृंखला) के कार्यवृत्त के अनुसार दिए गए सशर्त अनुमति पत्र की पृष्ठभूमि में एसईजेड भूमि से प्रचालन करने की अनुमति दी गई।

इस मुद्दे से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :

वाणिज्य विभाग ने यह प्रेक्षण किया कि एसईजेड अधिनियम एवं नियम एसईजेड यूनिट के अलावा किसी अन्य निकाय को एसईजेड में आर्थिक क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं देते हैं। चूंकि यह यूनिट मैसर्स सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड एसईजेड भूमि (वीएसईजेड) में हैं, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 08.11.2013 को आयोजित बैठक में इस अनुमति पत्र का वैधता को 16.4.2013 के बाद एक अन्य वर्ष के लिए बढ़ा दिया और यूनिट से कहा कि वह अपने प्रचालनों को वीएसईजेड से बाहर एक निश्चित समय-सीमा के अंदर अंतरित करने की अपनी योजना प्रस्तुत करे।

अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 24.07.2014 की बैठक के कार्यवृत्त के तहत निम्नलिखित निर्णय लिया :

"बोर्ड ने मैसर्स सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड के संबंध में एलओपी की वैधता को 16.4.2014 से आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रस्ताव पर विचार किया और दिनांक 31.03.2003 की अधिसूचना संख्या 52/2005-कस्टम्स में उल्लिखित शर्तों के अनुसार चार गुना शुल्क का भुगतान करने पर इस अनुमति पत्र की वैधता अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निश्चय किया। इस अनुमति पत्र के विस्तार का सीई प्राधिकारियों द्वारा शुरू किए गए न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोर्ड, विकास आयुक्त, वीएसईजेड की संस्तुति पर मैसर्स सिनर्जीज डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड और मैसर्स सिनर्जीज कास्टिग्स लिमिटेड के बीच पट्टा करार में वृद्धि करने पर भी सहमत हो गया। इस अनुमति पत्र को चार वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष बढ़ाने की शक्ति भी अनुमोदन बोर्ड में विकास आयुक्त वीएसईजेड को इस शर्त के अध्यधीन प्रत्यायोजित कर दी है कि वह निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल हो जाने के पश्चात अपने निर्णय को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेंगे :

I. **यह यूनिट इस अनुमति पत्र की मौजूदा वैधता का विस्तार किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपने डीटीए प्रचालनों के लिए जमीन की खरीद करेगी और उन भूमि दस्तावेजों को वीएसईजेड के पास जुलाई, 2015 तक जमा कराएगी।**

II. **एलओपी के मौजूदा विस्तार की तारीख से 2 वर्षों की समय-सीमा के अंदर अर्थात जुलाई, 2016 तक सिविल ढांचा तैयार करेगा।**

III. **एलओपी के मौजूदा विस्तार की तारीख से 4 वर्षों की समय-सीमा के अंदर अर्थात जुलाई, 2010 तक उत्पादन प्रारंभ कर देगी।**

IV. **एसईजेड भूमि से ईओयू को अंतरित करने की उपर्युक्त समय-सीमा की विकास आयुक्त द्वारा वार्षिक विस्तार किए जाने से पूर्व समीक्षा की जाएगी और यदि यूनिट द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो एलओपी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यह मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।**

विकास आयुक्त, वीएसईजेड के कार्यालय से दिनांक 14.08.2014 के पत्र के तहत, जिसमें उन्होंने अनुमति पत्र की उपर्युक्त वैधता अवधि केा बढ़ाने के अनुमोदन बोर्ड के निर्णय की सूचना दी हैं, यूनिट को यह निदेश दिया

है कि वह उपर्युक्त उपलब्धियों की प्राप्ति का प्रमाण विकास आयुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें और उसके साथ में एलओपी का विस्तार करने के लिए अनुरोध कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत करें।

इस यूनिट को मौजूदा विस्तार का पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर डीटीए में अपने प्रचालनों के लिए जमीन खरीदना होगी और जुलाई, 2015 तक वीएसईजेड के पास उस जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करें।

इस यूनिट ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को अपने दिनांक 19.01.2015 के पत्र के तहत दिए गए अभ्यावेदन में वीएसईजेड को बताया कि एलओपी में लगाई गई शर्तें अत्यधिक अव्यवावहारिक हैं और यूनिट को पुन: अन्यत्र स्थिति करने में निवेश करना संभव नहीं है। यूनिट ने इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया कि उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि किस मानक, नीति या संविधिक के अंतर्गत उनसे इस लोकेशन को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए, यूनिट ने अनुरोध किया कि वह अनुमति पत्र का नवीकरण करने के लिए किसी भी प्रकार की शर्त हटा दें और बिना किसी शर्त के सामान्य अधिकारों युक्त अनुमति पत्र का विस्तार करें जिसकी यह यूनिट हकदार है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड के कार्यालय द्वारा मैसर्स सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड के प्रबंधन के साथ दिनांक 17.04.2015 को एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। इस सुनवाई के दौरान यूनिट ने यह सूचित किया कि डीटीए में शिफ्ट करना संभव नहीं है और अल्पकाल की अवधि के लिए अनुमति पत्र का बार-बार नवीकरण से आदेश प्राप्त न होने और निवेश न होने के कारण अलाभकर स्थिति हो गई है।

तदनुसार इस प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा जा रहा है।

2.5(15) मैसर्स सिरीना राक्स प्राइवेट लिमिटेड, वीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू – अनुमति पत्र का विस्तार।

इस यूनिट को विकास आयुक्त वीएसईजेड ने आंध्र प्रदेश के चिन्तूर जिले में ग्रेनाइट स्लैब्स, राइल्स एवं ड्रेस्ड ब्लॉक का विनिर्माण करने और उनका निर्यात करने के लिए वर्ष 2006 में अनुमति पत्र दिया था। इस परियोजना के क्रियान्वयन को वर्ष 2008-10 में अंतरराष्ट्रीय मंदी, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में ग्रेनाइट उत्पादों की मांग में नकारात्मक वृद्धि हुई के कारण स्थागित कर दिया गया था और यह अभिमत व्यक्त किया गया कि निर्यात आर्डर प्राप्त करना मुश्किल होगा। वर्ष 2011 में इस यूनिट के मुख्य प्रोमोटर एवं अध्यक्ष की मृत्यु होने, वित्तीय सहायता प्राप्त न होने और राज्य का विभाजन होने पर आंध्र प्रदेश में हुए बंद एवं हड़ताल जैसे कारकों के कारण इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

यह इकाई छठे वर्ष के दौरान अनुमति पत्र की वैधता में विस्तार किए जाने की मांग नहीं करती है। तथापि, इस यूनिट ने इसके अनुमति पत्र में दिनांक 28.12.2012 अर्थात 7वें वर्ष के दौरान विस्तार करने के लिए मांग की। चूंकि विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 6.6.1(1) के अनुसार छठे वर्ष के बाद विस्तार करने के मुद्दे पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है, इसलिए, विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यह मामला संस्तुति के लिए वीओए के पास भेज दिया। बीओए ने दिनांक 03.04.2015 को आयोजित अपनी बैठक में इस यूनिट के अनुमति पत्र को विकास आयुक्त और सीबीईसी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 03.04.2015 तक के लिए बढ़ा दिया।

अब, यूनिट ने यह सूचित किया कि अनुमति पत्र की संविस्तारित अवधि में भी वे अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने में सक्षम नहीं हो पाए। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू न कर पाने का कारण यह है कि उन्होंने सदर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन कॉरपोरेशन ऑफ एपी लिमिटेड तिरूपति को 100 केवीए के कुल पॉवर लोड के लिए कनेक्शन देने हेतु दिनांक 25.10.2014 को आवेदन किया था। कनेक्शन दिए जाने के लिए तार बिछाने के कार्य में विलंब होने के कारण उनके कारखाने में स्थित उपस्टेशन तक तार बिछाने का कार्य 02.04.2015 तक

पूरा हो पाया। यूनिट ने उल्लेख किया कि यह कार्य अभी भी लंबित है क्योंकि अपेक्षित सामग्री को नेल्लौर जिले से लाना है।

इसलिए इस यूनिट ने इस अनुमति पत्र में छह माह की अन्य अवधि का विस्तार किए जाने का अनुरोध किया। इस समय तक, यूनिट का आशय है कि इस तारीख तक सरकारी विभागों से संबंधित समस्त कार्य अर्थात् मुख्य इलेक्ट्रिकल निरीक्षक और मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि यह इकाई तीन माह की अवधि के अंदर अपना उत्पादन प्रारंभ कर देगी।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान : विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 6.05(क) के अनुसार अनुमति पत्र की शुरूआती बैठता 2 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, 2(1+1) वर्ष का विस्तार क्रमश: डीसी और यूएसी द्वारा दिया जा सकता है। यदि जरूरी हुआ तो इसके आगे का समय विस्तार अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया जाएगा।

विकास आयुक्त की सिफारिश : विकास आयुक्त ने पिछली बार इस अनुमति पत्र का इसकी समाप्ति के उपरांत छह माह की अवधि अर्थात् 03.10.2015 तक के लिए विस्तार किया गया था।

इस यूनिट को दिए गए इस अनुमति पत्र की समाप्ति की तारीख अर्थात् 03.10.2015 से छह माह की अवधि के लिए विस्तार किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा गया था।

2.6(15) केएएसईजेड के अंतर्गत प्लास्टिक पुनर्चक्रण यूनिटों : ¼i½ मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ¼ii½ मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ¼iii½ मैसर्स आशु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का विस्तार।

¼i½ मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ¼ii½ मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ¼iii½ मैसर्स आशु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का विस्तार करने का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष इसकी दिनांक 18.09.2014 को आयोजित बैठक में रखा गया था और अनुमोदन बोर्ड ने इस एलओपी को 3 माह के लिए अर्थात 31.12.2014 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया। बीओए ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को यह निदेश भी दिया कि वह निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए इस यूनिट के विरुद्ध कार्रवाई को अधिकतम 31.10.2014 तक अंतिम रूप प्रदान करें और अपनी रिपोर्ट डीओसी के समक्ष डीओसी के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

इन इकाइयों को अगस्त, 2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने दिनांक 30.10.2014 के अपने पत्र के तहत यह सूचित किया कि इस मामले में न्याय निर्णय दे दिया गया और उन पर निम्नवत अर्थदंड अधिरोपित किया गया :

i. मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड : उनके लिए अनुमादित क्षमता से अधिक की वसतुओं का विनिर्माण करने और 05 वर्षों की ब्लॉक अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात की शर्त को पूरा न करने के लिए 6,00,000/-रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इस यूनिट ने दिनांक 17.11.2014 के चालान के तहत अपने अर्थदंड का भुगतान कर दिया।

ii. मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड : उनके लिए अनुमादित क्षमता से अधिक की वसतुओं का विनिर्माण करने और 05 वर्षों की ब्लॉक अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात की शर्त को पूरा न करने के लिए 7,00,000/-रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इस यूनिट ने दिनांक 17.12.2014 के चालान के तहत अपने अर्थदंड का भुगतान कर दिया।

iii. मैसर्स आशु प्लास्टिक्स लिमिटेड : 5 वर्षों की ब्लॉक अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात की शर्तों को पूरा न कर पाने के लिए 4,00,000/- रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इस यूनिट ने दिनांक 15.12.2014 के चालान के तहत अर्थदंड का भुगतान कर दिया।

प्लास्टिक पुनर्चक्रण के पर्यावरण ऑडिट के संबंध में केएएसईजेड द्वारा यह सूचित किया गया कि जीपीसीबी में पर्यावरणीय ऑडिट स्कीम के अंतर्गत प्लास्टिके पुनर्चक्रमण उद्योग शामिल नहीं है।

अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 18.09.2014 को आयोजित बैठक में अन्य दो प्लास्टिक पुनर्चक्रण ईओयू अर्थात मैसर्स प्राइम एक्सपोर्ट्स और मैसर्स सैन पालिप्लास्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का विसतार 5 वर्षों की अन्य अवधि के लिए इस शर्त के अध्यधीन कर दिया कि दिनांक 17.09.2013 के यथासंशोधित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार समान यूनिटों पर और ईओयू पर लागू विहित बाध्यताओं को पूरा करेंगे।

इन तीन इकाइयों के एलओपी का विस्तार करने के प्रस्ताव को विचारार्थ बीओए के समक्ष रखा गया है।

भाग-II

बीओए का अनुसमर्थन करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुरूप दिया गया अनुमोदन।

क	**फरवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों द्वारा दिया गया अनुमोदन**	**सीप्ज**
ख	**अगस्त, 2015 से जनवरी, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**के ए एस ई जेड**
ग	**जनवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**एम ई पी जेड**
घ	**मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**एफ एस ई जेड**
ड.	**फरवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**वी एस ई जेड**
च	**जुलाई, 2014 से अप्रैल, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**एन एस ई जेड**